भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1230

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

20 माघ, 1943 (शक)

आधार कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया

1230. श्री राकेश सिंह :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के नागरिकों को आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या नागरिकों को आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कराने और उसमें सुधार करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार इस स्थिति से निपटने के लिए पंजीकरण केंद्रों पर मशीनों की संख्या बढ़ाने का है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): जी,नहीं । आधार भारत में उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पहचान प्रमाणीकरण मंच है। आधार भारत के प्रत्येक निवासी को प्रमाणित करता है जिसने स्वेच्छा से आधार में नामांकन किया है। यह पहचान देश के नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। भारत का कोई भी निवासी या एक अप्रवासी भारतीय (एनआरआई, वैध भारतीय पासपोर्ट धारक), आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकता है। "निवासी" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के बारह महीनों में एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधि के लिए भारत में रहा हो। वर्तमान में यूआईडीएआई ने कुल जनसंख्या (अनुमानित जनसंख्या 2021) के 93% से अधिक या उससे अधिक को नामांकित किया है। 31 दिसंबर 2021 को संतृप्ति रिपोर्ट **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है। आधार के लिए नामांकन एक सतत प्रक्रिया है। हर साल बच्चों के नए जन्म और अन्य आयु वर्ग की छूटी हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए, आधार के लिए नए नामांकन की आवश्यकता एक सतत प्रक्रिया है।

(ग): जी,नहीं । आज की स्थिति के अनुसार आधार संतृप्ति कुल जनसंख्या (अनुमानित जनसंख्या 2021) के 93 प्रतिशत तक पहुंच गई है। वयस्कों (>18 वर्ष की आयु) के बीच आधार संतृप्ति 99.82% तक पहुंच गई है। तदनुसार, आधार से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता मौजूदा आधार में विभिन्न अधतन (जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि) में और छूटी हुई आबादी, विशेष रूप से बच्चों के नए नामांकन में स्थानांतरित हो गई है ।

(घ) से (ड.) : सरकार ने आधार में नामांकन के साथ-साथ अधतन न से निपटने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

I. वर्तमान में, देश भर में विभिन्न बैंकों, डाकघरों, राज्य सरकारों, सीएससी ई-गवर्नेंस आदि द्वारा संचालित 52,000 से अधिक आधार केंद्र कार्य कर रहे हैं। फरवरी 2020 के पूर्व-कोविड स्तर के दौरान कार्यात्मक आधार केंद्रों की संख्या में 41,000 से वर्तमान स्तर तक पर्याप्त वृद्धि हुई है।
II. जिन निवासियों ने अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक किया है, वे अपने जनसांख्यिकीय विवरण (यानी नाम, पता, लिंग और जन्म तिथि) को अपने घरों की सुविधा से माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
III. आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा को अधिकतम करने के लिए, यूआईडीएआई ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को रजिस्ट्रार के रूप में शामिल किया है, जिसमें मोबाइल और ईमेल अपडेट सुविधा की सुविधा के लिए टैबलेट/ मोबाइल आधारित उपकरणों से लैस 1 लाख से अधिक डाकियों को ऑनबोर्ड करने का लक्ष्य है। आधार से एक बार मोबाइल नंबर अपडेट हो जाने के बाद, निवासी माय आधार पोर्टल के माध्यम से आधार में अपने जनसांख्यिकीय विवरण को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ये आईपीपीबी ऑपरेटर्स 0-5 साल की उम्र के बच्चों का आधार एनरोलमेंट भी करेंगे।

****

अनुबंध- 1

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार आधार संतृप्ति 31-दिसंबर-21				
क्रम संख्या	राज्य का नाम	कुल जनसंख्या (अनुमानित 2021)*	सौपें गए आधार की संख्या (लाइव)	संतृप्ति% (लाइव)
1	अंडमान और निकोबार दीव	4,00,000	3,90,034	97.51%
2	आंध्र प्रदेश	5,27,87,000	5,14,48,812	97.46%
3	अरुणाचल प्रदेश	15,33,000	12,51,110	81.61%
4	असम	3,50,43,000	2,80,96,218	80.18%
5	बिहार	12,30,83,000	10,60,35,286	86.15%
6	चंडीगढ़	12,08,000	11,49,013	95.12%
7	छत्तीसगढ	2,94,93,000	2,77,56,729	94.11%
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव **	6,38,399	5,98,182	93.70%
9	दिल्ली	2,05,71,000	2,22,73,828	108.28%
10	गोवा	15,59,000	15,97,064	102.44%
1 1	गुजरात	6,97,88,000	6,41,29,370	91.89%
12	हरियाणा	2,94,83,000	2,97,14,800	100.79%
13	हिमाचल प्रदेश	73,94,000	76,65,329	103.67%
14	जम्मू कश्मीर	1,34,08,000	1,14,16,877	85.15%
15	झारखंड	3,84,71,000	3,51,80,942	91.45%
16	कर्नाटक	6,68,45,000	6,35,56,616	95.08%
17	केरल	3,54,89,000	3,68,26,246	103.77%
18	लद्दाख	2,97,000	2,32,993	78.45%
19	लक्षद्वीप	68,000	72,973	107.31%
20	मध्य प्रदेश	8,45,16,000	7,61,0,387	90.04%
21	महाराष्ट्र	12,44,37,000	11,61,30,271	93.32%
22	मणिपुर	31,65,000	25,60,932	80.91%
23	मेघालय	32,88,000	18,49,789	56.26%
24	मिजोरम	12,16,000	11,51,302	94.68%
25	नगालैंड	21,92,000	13,27,729	60.57%
26	उड़ीसा	4,40,33,000	4,30,91,402	97.86%
27	पुदुचेरी	15,72,000	12,89,942	82.06%
28	पंजाब	3,03,39,000	3,07,55,530	101.37%
29	राजस्थान	7,92,81,000	7,31,09,422	92.22%
30	सिक्किम	6,77,000	5,77,717	85.33%
31	तमिलनाडु	7,64,02,000	7,32,21,267	95.84%
32	तेलंगाना	3,77,25,000	3,80,38,128	100.83%
33	त्रिपुरा	40,71,000	37,35,127	91.75%
34	उतार प्रदेश	23,09,07,000	21,04,73,772	91.15%
35	उत्तराखंड	1,13,99,000	1,12,89,680	99.04%
36	पश्चिम बंगाल	9,81,25,000	9,32,70,039	95.05%
कुल		**1,36,09,03,399**	**1,26,73,64,857**	**93.13%**

* आरजीआई डेटा के अनुसार

** संशोधित आधार का अद्यतन किया गया जैसा की जनसंख्या दिनांक 02 नवंबर,21 के पत्र सीओएल/ आधार - जागरूकता/2021-22/3060 के जरिये डीडी और डीएनएच के यूटी प्रशासन कार्यालय से प्राप्त हुआ

****